एपीनिक 52 में सामुदायिक चर्चा के लिए सात नीति प्रस्ताव

एपीनिक 52 सम्मेलन में 16 सितंबर 2021 को ऑनलाइन खुली नीति बैठक आयोजित की जाएगी। चर्चा के लिए यहाँ सात नए नीति प्रस्तावों का संक्षिप्त सारांश दिया गया है।

प्रॉप-135-v001: दस्तावेजीकरण

यह प्रस्ताव संसाधन निवेदनों के लिए आवश्यक समर्थन दस्तावेजों में परिवर्तनों और किसी भी दोहराव को हटाने का सुझाव देता है। वर्तमान नीति दस्तावेज में संसाधन निवेदन समर्थन दस्तावेज के खण्डों 5.6 और 5.6.1 में पुनरावृत्ति है।

प्रॉप-136-v001: पंजीकरण आवश्यकताएँ

एपीनिक इंटरनेट संख्या संसाधन नीतियाँ दस्तावेज में धारा 5.3 को प्रत्येक संसाधन प्रकार के आधार पर तीन उपखण्डों (खण्ड 5.3.1, 5.3.2 और 5.3.3) में वर्गीकृत किया गया है। इस प्रस्ताव में संसाधन के प्रकार पर आधारित व्यक्तिगत पंजीकरण आवश्यकताओं को एक खण्ड में मिलाकर नीति दस्तावेज को बदलने का सुझाव दिया गया है।

प्रॉप-137-v001: एसोसिएट सदस्यों के लिए IPv6 एसाइनमेंट

इस प्रस्ताव में छोटे उद्यमों और शिक्षाविदों/शोधकर्ताओं को IPv6 एसाइनमेंट प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन देने का सुझाव दिया गया है। इस प्रस्ताव के अंतर्गत एपीनिक एसोसिएट सदस्य इस प्रतिबंध के साथ IPv6 एसाइनमेंट के लिए निवेदन कर सकते हैं कि एसाइनमेंट को आगे अन्य संगठनों को वितरित नहीं किया जा सकता है।

प्रस्ताव के अनुसार एसोसिएट सदस्य को 12 महीनों के अंदर IPv6 एड्रेस स्पेस का उपयोग करने और इसे घोषित करने के लिए सहमत होना चाहिए। इस अवधि के बाद यदि स्पेस की घोषणा नहीं की जाती है या एपीनिक के होस्टमास्टर ऐसा मानते हैं कि इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है, तो एसाइन किए गए IPv6 एड्रेस स्पेस का फिर से अधिग्रहण करके इसे मुक्त पूल में वापिस लाया जाना चाहिए।

प्रॉप-138-v001: आरओए में AS_ID को सीमित करना

इस प्रस्ताव में एपीनिक सदस्यों को निजी, आरक्षित या अनावंटित एएसएन के लिए आरओए बनाने से प्रतिबंधित करने का सुझाव दिया गया है। इस नीति का उद्देश्य गलती से बनाए गए बोगन आरओए की संख्याओं को कम करना है।

प्रॉप-139-v001: एसओआर की आवश्यकता नहीं

इस प्रस्ताव में नीति से एलआईआर सेकंड ओपिनियन रिक्वेस्ट (एसओआर) प्रक्रिया को हटाने का सुझाव दिया गया है, जिसका शायद ही कभी उपयोग किया जाता है। IPv4 के पूरी तरह से समाप्त हो जाने के कारण और IPv6 के साथ अब इसकी आवश्यकता नहीं रह गई है।

प्रॉप-140-v001: एंड-साइट की परिभाषा में अद्यतन

इस प्रस्ताव में IPv4 और IPv6 आवंटनों में किसी भी भ्रम को हटाने के उद्देश्य से नीति दस्तावेज में 'एँड-साइट' और 'एँड-यूज़र', इन दोनों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करने की संस्तुति की गई है।

प्रॉप-141-v001: IPv4 एड्रेस के अधिकतम आवंटन आकार को 512 (/23) से बदलकर 768 (/23+/24) एड्रेस में परिवर्तन

इस प्रस्ताव में निम्नलिखित आवंटन करने का सुझाव दिया गया है:

- वर्तमान में ऐसे एपीनिक खाताधारकों के लिए अतिरिक्त 256 (/24) IPv4 एड्रेस, जिन्हें गुरुवार, 28 फरवरी 2019 के बाद केवल 512 (/23) IPv4 एड्रेस प्राप्त हुए हैं; और
- नए सदस्यों के लिए 768 (/23+/24) IPv4 एड्रेस।

भाग लें! अपनी बात सामने रखें

अच्छी नीति समुदाय के विभिन्न हिस्सों से आने वाले लोगों की राय पर निर्भर करती है, इसलिए इसमें शामिल होना महत्वपूर्ण है। अच्छी नीतियों को परामर्श और आम सहमति की एक खुली, पारदर्शी और नीचे-से-ऊपर जाने वाली प्रक्रिया के माध्यम से विकसित किया जाता है।

पॉलिसी एसआईजी मेलिंग सूची की सदस्यता लेकर या एपीनिक 52 पॉलिसी एसआईजी मंच के दौरान व्यक्तिगत या दूरस्थ रूप से भाग लेकर इन नीति प्रस्तावों के बारे में अपनी बात सामने रखें।